

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2024

अपील संख्या 04/24

GCMS NO-2024/39

बउनवानी:- क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज, सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरुद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 201/2024 निर्णय दिनांक

14.2.2024 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री अजय शेखर दवे

2. श्री तोफिक मोहम्मद

वकील अपीलान्त

( पैरोकार राजस्व )

दिनांक 20.5.2026

:- निर्णय :-

अपीलान्त द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 201/2024 में पारित निर्णय दिनांक 14.2.2024 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080 (रबी) मे वाके ग्राम भगवतगढ बी तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 1924,2359,1925/5160,1498 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.40+10.88+4+15.54=32.82 है0, किस्म बारानी-3, गै.मु. खारडा, बंजड, गै.मु. पहाड वाके ग्राम भगवतगढ बी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का भगवतगढ बी द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का नवीनवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का नवीनवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्त ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत रूप से सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह व्यवस्था स्थापित है कि वन भूमि को किसी भी अन्य उपयोग हेतु आवंटन या किस्म तब्दील नहीं की जा सकती है यह आज्ञापक व्यवस्था है। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट ने अपने अधीनस्थ कार्मिकों से साज कर उक्तानुसार नोटिस जारी कर बेदखल करने बाबत आदेश पारित किये हैं जो विधि विरुद्ध होने से प्रभावहीन एवं शून्य है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 "कोई व्यक्ति" जिसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो उस पर लागू होती है। अपीलान्त वन विभाग का पदेन अधिकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी है। जो राजस्थान सरकार के अधीन लोक सेवक है, साथ ही वन विभाग व राजस्व विभाग दोनों राजस्थान सरकार के विभाग है इसलिए कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत अतिक्रमी की परिभाषा से भिन्न हैं अर्थात अपीलान्त ने व्यक्तिशः किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि सालों से उक्त भूमियों पर पौधे लगभग 20,000 हजार (शीशम, नीम, रौंझ, खैर, कुमठा, धोंक, देशी बबूल, टोटलिस, खिरनी, डण्डाथोर, सुबबूल, जूलिफलोरा, अरडू, चुरैल, विभिन्न प्रकार के घासे) लगाकर जंगल विकसित किया है।

.....(1).....

(कानो राम)

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर



4/24

क्षेत्रीय वन अधिकारी 4/2 TAR

(अपील संख्या 04/2024 उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम तहसीलदार चौथ का बरवाडा )

जिसमें वर्तमान में कई किस्म के जंगली जानवर (तेन्दुआ, जरख, भेड़िया, कब्र विज्जू, इंडियन स्मॉल सिवेट, पाम सिवेट, सियार, चिंकारा, जंगली सुअर, नीलगाय, जंगली खरगोश, सेही, लोमड़ी, जंगली बिल्ली जैसे अन्य वन्य जीव) सांप (इंडियन कोबरा, इंडियन रॉक पायथन, रैट स्नेक, कॉमन करैत, शो स्कैल्ड वाइपर, रसेल वाइपर, कॉमन सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ, वुल्फ स्नेक, चीकर्ड कील बैक, कॉमन कुकरी, कॉमन ट्रिंकेट) पक्षी (लॉग विल्ड वल्चर, फिशिंग आउल, स्कूल आउल, डसकी ईगल आउल, स्पॉटेड ऑवजेट, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, पीड किंगफिशर, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, पैराडाइज फ्लाइकैचर, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाइकैचर, ब्लैक हेडेड कुक्कू श्राइक) अपने प्राकृतिक आवास में विचरण एवं रहते हैं। इनका संरक्षण तथा पर्यावरण की दृष्टि से ही वनों पोषण किया जाता है जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व पर्यावरण को दूषित होने से रोकती हैं, साथ ही परिक्षेत्र की वायु गुणवत्ता को बढ़ाना, भू-जल संरक्षण में उक्त क्षेत्र में लगाये गये जंगल से वर्षा जल की कुल मात्रा का 30-42 प्रतिशत स्पंज के समान अवशोषित करती है, जो एक अनुमान के अनुसार यदि इस क्षेत्र में 600 मि.मि. बारिश होती है तो लगभग 32 करोड़ लीटर पानी इस क्षेत्र में रुकता है, जिससे स्थानीय कुएँ, बोरवेल आदि रिचार्ज भी होते हैं इसी प्रकार यदि 1 लीटर पानी का मुल्य 1 रूपये माना जाये तो 32 करोड़ लीटर जल का मुल्य सहज ही आंका जा सकता है। उक्त जंगलों के द्वारा मृदा अपरदन को रोकने का कार्य किया जा रहा है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार वनस्पति हीन भूमि में प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर में लगभग 16 टन मिट्टी का कटाव होता है, जो बहकर तालाबों, नदियों व समुद्र में पहुंच जाती है। ज्ञात है कि मृदा के एक कण के निर्माण में प्रकृति में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, जिसमें वृक्ष एवं अन्य वनस्पति सर्व प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये रेस्पोजेन्ट ने उक्त भूमि के संबंध में धारा 91 के तहत दुर्भावना व क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलान्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर व्यक्तिशः उपस्थित होने एवं व्यक्तिगत जिम्मेदार होने के लिये नोटिस जारी किये गये। तहसील चौथ का बरवाडा में तैनात पटवारी हल्का भगवतगढ़ बी ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस अमर की पेश की है कि मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1924 रकबा 240 हेक्टेयर बारांनी 3, खसरा नम्बर 2359 रकबा 1088 गैर मुमकिन खारडा, खसरा नम्बर 1925/5160 रकबा 4.00 हेक्टेयर बंजड़, खसरा नम्बर 1498 रकबा 15.54 हेक्टेयर गैर मुमकिन पहाड़ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31.01.2024 को नोटिस जारी किया गया, जो प्राप्त होने पर मिन अपीलान्ट द्वारा रेस्पोजेन्ट को पत्र दिनांक 6.2.2024 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मिन अपीलान्ट दीपक शर्मा को वानिकी परीक्षण संस्थान जयपुर के लिए पांच दिवसीय अनिवार्य आवासीय प्रशिक्षण हेतु रिलीव कर दिया है। अतः आप कृपया आगामी पेशी दिनांक 15.2.2024 तक आगे बढ़ाने का श्रम करें। लेकिन अदालत मातहत द्वारा तारीख पेशी 7.2.2024 को ही अनुपस्थित बताया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.02.2024 नियत कर उक्त आलोच्य आदेश प्रतिपादित कर दिया, जो अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया है। इस कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। रेस्पोजेन्ट स्वयं लैण्ड होल्डर है तथा उनके पास तहसील की राजस्व भूमि बाबत समस्त रिकार्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, गिरदावरी, मिलान क्षेत्रफल एवं पुराने सभी रिकार्ड पावर एवं पजेशन में है। नतीजन मिन अपीलान्ट द्वारा अपना पक्ष सिद्ध करने की गरज से आवश्यक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 69 दिनांक 12.2.2024 से निवेदन किया ताकि अपीलान्ट राज्य के वन विभाग की ओर से अपना पक्ष मजबूती से अदालत मातहत में प्रस्तुत कर सकें। लेकिन अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार शर्मा मिन अपीलान्ट से दुर्भावना रखते हैं इस कारण उक्त आराजीयात मुतनाजा का राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया ना ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया गया बल्कि उभय पक्ष की अनुपस्थिति में ही दिनांक 14.2.2024 को आलोच्य निर्णय प्रतिपादित कर दिया है। जो पूर्णतया दुर्भावनापूर्वक एवं कानून

.....(2).....

(काना राम)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

के विरुद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत काश्तकार नहीं हैं ना ही कोई अतिक्रमी व्यक्ति हैं केवल राज्य सरकार की ओर से कार्यरत प्राधिकृत अधिकारी एवं लोक सेवक हैं। इस कारण धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिकारी अपीलान्त पर प्रभावी नहीं होता।

राजस्व रिकार्ड हेतु मिन अपीलान्त ने श्रीमान के कार्यालय में भी पत्रांक 65 दिनांक 12.2.2024 से आवश्यक रिकार्ड यथा तुलनात्मक विवरण, साबिक नम्बरान की जमाबन्दी व पुराना नक्शा ट्रेस की सत्यापित प्रति चाही गई थी। जो भी श्रीमान के यहां पैपिंग है उक्त रिकार्ड के बिना मिन अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना सम्भव नहीं था। इस बात को नजर अन्दाज करते हुए अदालत मातहत ने तुरन्त-फुरत में आलोच्य आदेश प्रतिपादित किया है। अपीलान्त एक लोक सेवक है तथा अपने कर्तव्यों का राज्यहित में पालना करता है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 2420 जुज रकबा 66 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम भगवतगढ़ है। जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 1498 रकबा 15.54 हेक्टेयर कायम किये गये तथा अन्य आराजीयात पर राज्य सरकार की ओर से कई सालों पहले अतिक्रमण से बचाव की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्चाधिकारियों के आदेश व निर्देशों की पालना करते हुए पर्यावरण की दृष्टि से पौधे लगाकर जंगल विकसित कर वन लगाये गये। इस प्रकार उक्त आराजी मिन अपीलान्त के वन भूमि है जिस पर वृक्षारोपण हो रहा है लेकिन अदालत मातहत ने उक्त भूमि को मनमाने तरीके से बिना जांच करवाये, बिना सुनवाई किये ही सिवायचक मानते हुए आलोच्य आदेश प्रतिपादित किया है। जबकि रेस्पोंडेन्ट का यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि साबिक खसरा नम्बर एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान कायम किये गये हाल नम्बरान में त्रुटि हो तो वह स्वयं फिल्ड बुक लेकर मौके पर जाकर मुस्तकील पोईन्ट से जांच कर इन्द्राज दुरुस्त करवाये। क्योंकि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार स्वयं लैण्ड होल्डर हैं। लेकिन अदालत मातहत ने ऐसा ना कर मिन अपीलान्त को धारा 91 का नोटिस देकर बेदखल करने आदेश प्रतिपादित किये हैं। जो कानून के विपरीत हैं। यह तर्क भी दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन संख्या 171/96 टी.एन गोदावरन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 12.12.1996 को आदेश प्रतिपादित किया है। जिसमें स्पष्ट निर्देशित दिये है कि वन क्षेत्र की भूमि में गैर वनीय कार्य नहीं किये जावें। तथा वन को भी विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने आलोच्य निर्णय पारित कर उक्त आराजीयात मुतनाजा में खड़े हरे वृक्ष जो वनीय क्षेत्र से बेदखल करने बाबत आदेश कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की तारीफ में आता हैं। यह तर्क भी दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्त को दिनांक 23.2.2024 को होने पर नियमानुसार प्रमाणित प्रति दिनांक 26.2.2024 को प्राप्त होने पर अपील अंदर मियाद पेश हैं। अपीलान्त राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यरत लोक सेवक हैं तथा प्रकरण भी वन विभाग की वन भूमि से सम्बन्ध रखता हैं जो राज्य सरकार का सरकारी विभाग है। इस कारण अपील निःशुल्क कोर्ट फीस पर पेश हैं। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाने एवं रेस्पों. को निर्देशित किया जावे कि भविष्य में मिन अपीलान्त की वन भूमि पर जो वृक्षारोपण किये गये हैं उन्हें किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचावें और यदि साबिक खसरा नम्बरान के मुताबिक सेटिलमेंट रिकार्ड में भिन्नता हैं तो रेस्पोंडेन्ट बहैसियत तहसीलदार लैण्ड होल्डर साबिक खसरा नम्बर एवं नक्शे के अनुसार हाल रिकार्ड दुरुस्त करवायें।

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसील चौथ का बरवाडा के राजस्व ग्राम भगवतगढ़ के खसरा नम्बर 1924 रकबा 2.40 है० किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 2359 रकबा 10.88 है० किस्म गैर मुमकिन खारड़ा, खसरा नम्बर 1925/5160 रकबा 4.00 है० किस्म बंजड़, खसरा नम्बर 1498 रकबा 15.54 है० किस्म गैर मुमकिन पहाड़ कुल कित्ता 04 कुल

.....(3).....

(काना राम)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

(अपील संख्या 04/2024 उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम तहसीलदार चौथ का बरवाडा )

रकबा 32.82 है० भूमि पर वन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर तहसील चौथ का बरवाडा के राजस्व ग्राम भगवतगढ वी के क्षेत्राधिकार रखने वाले पटवारी ने वन विभाग द्वारा अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय तहसीलदार द्वारा नियमानुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ग्राम भगवतगढ वी के प्रकरण संख्या 201/2024 में दिनांक 14.02.24 को नियमानुसार प्रकरणों में शास्ति कायम करते हुए वेदखली का निर्णय पारित किया गया तथा उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 22.02.2024 को भौतिक रूप से वेदखल किया गया। इस प्रकार तहसील चौथ का बरवाडा के राजस्व ग्राम भगवतगढ के खसरा नम्बर 1924 रकबा 2.40 है० किस्म बाराणी 3, खसरा नम्बर 2359 रकबा 10.88 है० किस्म गैर मुमकिन खारडा, खसरा नम्बर 1925/5160 रकबा 4.00 है० किस्म बंजड़, खसरा नम्बर 1498 रकबा 15.54 है० किस्म गैर मुमकिन पहाड़ कुल किता 04 कुल रकबा 32.82 है० भूमि जो राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व विभाग के नाम दर्ज है एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज सिवायचक व चरागाह भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले तत्कालीन तहसीलदार/नायब तहसीलदार ने राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही नियमानुसार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। यदि अपीलान्त को किसी रिकॉर्ड पर संदेह है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। भूमिधारी (तहसीलदार) को विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिवायचक एवं चरागाह के संरक्षण में वादी द्वारा बाधा कारित करना प्रचलित कानूनों एवं विधि की व्यवस्था का उल्लंघन है।

वकील अपीलान्त एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त के अनुसार अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जबकि अपीलान्त द्वारा दिनांक 6.2.2024 को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि दीपक शर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी को वानिकी परीक्षण संस्थान जयपुर मे पांच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जाना है इसलिए 15.2.2024 की तारीख पेशी नियत की जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही दिनांक 14.2.2024 को निर्णय पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त अपीलान्त द्वारा कथन किया कि ग्राम भगवतगढ, झरनिया,बन्धा, बनोटा,लोरवाडा, जटवाडा कलां की भूमि वन विभाग के नाम किये जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाना बताया गया है। इसलिए अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावे। यदि उक्त ख०न० की भूमि वन विभाग के नाम किये जाने का नोटिफिकेशन अपीलान्त की ओर से पेश किया जावे तो आदेश जैर अपील खारिज माना जावे ओर यदि किसी प्रकार का नोटिफिकेशन पेश नहीं किया जावे तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर